

आवंटन

अनुदान संख्या-14

लेखाशीर्षक-4235608000324

प्रेषक,

निदेशक,

पंचायती राज, उ०प्र०।

सेवा में,

1- जिला पंचायत राज अधिकारी,
लखनऊ, आगरा, मथुरा, अम्बेडकरनगर, बलिया, रामपुर, इलाहाबाद, सहारनपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, बांदा,
कासगंज, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, ललितपुर, बलरामपुर, रायबरेली, हापुड़, मेरठ, अमरोहा,
बुलन्दशहर तथा बदायूँ।

2- उपनिदेशक (प०)/आहरण वितरण अधिकारी,

पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।

संख्या: 1/शा०/86/2018-1/225/2018

लखनऊ:

दिनांक 15 नवम्बर, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु० 10000.00 लाख में से रु० 974.40 लाख का आवंटन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, पंचायती राज अनुभाग-3, उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-84/ 2018 /3620/33-3-2018-100(21)/2014, दिनांक 29.10.2018 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु०-10000.00 लाख के सापेक्ष अवमुक्त की गयी धनराशि रु०-974.40 लाख उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 29.10.2018 के साथ संलग्न फॉट के कालम संख्या-05 में इंगित कुल रु० 2.4360 लाख निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/ व्यय हेतु (परिशिष्ट-1) तथा कालम संख्या 09 व 12 में इंगित कुल रु० 971.964 लाख की धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के आहरण/व्यय/वितरण हेतु (परिशिष्ट-2) इस प्रकार कुल रु० 974.40 लाख (रुपया नौ करोड़ चौहत्तर लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न सूची के अनुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि आवंटित की जाती है:-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु वर्ष 2018-19 में प्राविधानित एवं आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। आवंटित की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है, प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।
2. प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाय।
3. नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाय।
4. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/ सक्षम लोक आर्थोरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
5. इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हों।
6. प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजनाओं के सम्बन्धित जनपद के एस०ओ०आर० पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यवाही संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
7. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2018-19 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य पर वास्तविक व्यय से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/ 2018 दिनांक 24.04.2018, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-16/2018/बी-2-979/10-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 के उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उपरोक्तानुसार आवंटित की जा रही धनराशि, जो इसे आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेगी।

9. उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
10. उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 के लेखाशीर्षक "4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।
11. इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका/कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों/शर्तों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।
12. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।
13. आवंटित की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/ मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जाये। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से सम्बन्धित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
14. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।
15. जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाये।
16. जनपद स्तर पर अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिये नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- 2-यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय झाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस- 2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय झाप सं०-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-16/2018/बी-2-979-10-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-137 पर अंकित है।

संलग्न:-उक्तानुसार।

भवदीय,

(मंसूमा अली सरवर)

निवेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या:1/शा०/ /2018 उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ०प्र०, इलाहाबाद-211001.
3. उपसचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ०प्र० शासन।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ०प्र०।
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सम्बन्धित, मण्डलीय उपनिदेशक (प०), उ०प्र०।
8. उपनिदेशक (प०), पंचायती राज निदेशालय उ०प्र०।
9. आहरण/वितरण अधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र०।
10. एस०पी०एम०यू०, पंचायती राज निदेशालय, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

1/27/86/2018

संख्या- 84/2018/3620/33-3-2018-100(21)/2014

प्रेषक,
जोगेन्द्र प्रसाद
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
निदेशक,
पंचायती राज,
उ०प्र०, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 29 अक्टूबर, 2018

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु. 10000.00 लाख में से 974.40 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/1241/2017-5/44/2018 दिनांक 11.0.2018 के संदर्भ में शासनादेश संख्या-2/2105/33-3-2014-100(21)/2014, दिनांक 02 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या 14 के अन्तर्गत 2018-19 में उक्त योजना के लिए प्राविधानित धनराशि रु. 10000.00 लाख में से रु. 9013.20 लाख की धनराशि पूर्व में 370 अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-67/2018/2573/33-3-2018-100(21)/2014 दिनांक 07.08.2018 द्वारा आवंटित की गई थी। तत्क्रम में 40 अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु धनराशि रु. 974.40 लाख की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार सार्वजनिक फंड के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहमति प्रदान करते हैं:-

- (1) ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में प्राविधानित एवं स्वीकृत धनराशि का व्यय /उपयोग स्वीकृत योजना के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने से पूर्व आप स्वयं अपने स्तर से यह सुनिश्चित कर लेंगे कि योजनान्तर्गत परिव्यय उपलब्ध है परवर्तमान योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा विभाग इस धनराशि को आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।
- (2) प्रायोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।
- (3) नियमानुसार सम्पूर्ण आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त किये जा सकें। निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (4) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (5) इस मानकीकरण के आधार पर वित्तीय स्वीकृति उन्हीं प्रायोजनाओं हेतु किया जाय जिन प्रायोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध हो।
- (6) प्रायोजना प्रस्ताव/ आगणन का गठन लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दरों के आधार पर किया गया है। उक्त आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा व्यय वित्त समिति से अनुमोदित लागत आगणन प्रति अन्त्येष्टि स्थल के आधार पर निर्माण कार्य किया जायेगा। अतः इस मानकीकरण में प्रस्तावित कुर्सी क्षेत्रफल एवं विशिष्टियों के आधार पर स्वीकृत प्रायोजना का सम्बन्धित जनपद के एस०ओ०आर० पर विस्तृत आगणन कर गठन कराया जाय एवं इस विस्तृत आगणन पर कार्यदायी संस्था के सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।
- (7) निर्वर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2018-19 की अवधि में कार्यदायी संस्थाओं द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979-10-2018-244/2018 दिनांक 01.09.2018 में उल्लिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबंधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे।

(9) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-14 के "लेखाशीर्षक 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय -03-ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास -24-बहुत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

(11) इस मामले में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास किये जाने के संबंध में निर्गत मार्गदर्शिका/कार्ययोजना में उल्लिखित तथ्यों/शर्तों का अनुपालन प्रत्येक स्थान में सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

(13) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह स्पष्ट रूप से बी०एम०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अधीनस्थ प्रेषित कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात् अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(15) जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(16) जनपद स्तर पर अन्त्येष्टि स्थल निर्माण कार्य की स्थलीय देखरेख व समीक्षा आदि के लिए नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा जो निर्माण की प्रत्येक माह आख्या शासन/निदेशालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-16/2018/बी-2-979-10-2018-244/2018 दिनांक 01.08.2018 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-व्याप्त।

भवदीय,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कलेक्ट्रेट लखनऊ।
- 6- समस्त मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
- 7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ।
- 8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
- 9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु धनराशि अवमुक्त करने हेतु फांट

अनुदान संख्या-14

धनराशि लाख ₹0 में

क्र० सं०	जनपद का नाम	निर्मित किये जाने वाले अन्त्येष्टि स्थलों की संख्या	रुपया 24.36 लाख प्रति इकाई की दर से कुल प्रस्तावित धनराशि	कार्यालय व्यव/कॉन्टिनेन्सी हेतु प्राविधानित कुल धनराशि का 02 प्रतिशत							अन्त्येष्टि स्थल की धनराशि तथा अनु पंचायत स्तर की कॉन्टिनेन्सी की धनराशि (कासम संख्या-11) को सम्मिलित करते हुए प्रस्तावित धनराशि
				निर्देशात्मक स्तर (0.25 प्रतिशत)	मण्डल स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	जिला स्तर (0.25 प्रतिशत)	ब्लॉक स्तर पर (0.25 प्रतिशत)	कालम संख्या का योग (6+7+8)	कालम संख्या का योग (5+9)	ग्राम पंचायत स्तर पर (6+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	लखनऊ	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
2	आगरा	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
3	मथुरा	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
4	अम्बेडकर नगर	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
5	बलिया	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
6	रामपुर	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
7	इलाहाबाद	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
8	सहारनपुर	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
9	प्रतापगढ़	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
10	गाजीपुर	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
11	बांदा	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
12	कासगंज	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
13	फिरोजाबाद	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
14	मैनपुरी	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
15	कन्नौज	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
16	औरैया	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
17	ललितपुर	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
18	बलरामपुर	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
19	रायबरेली	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
20	हापुड़	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328
21	मेरठ	3	73.0800	0.1827	0.1827	0.1827	0.1827	0.5481	0.7308	0.7308	72.3492
22	अमरोहा	2	48.7200	0.1218	0.1218	0.1218	0.1218	0.3654	0.4872	0.4872	48.2328

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2.	बुलन्दशहर	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
24	बदायूं	1	24.3600	0.0609	0.0609	0.0609	0.0609	0.1827	0.2436	0.2436	24.1164
	योग	40	974.4000	2.4380	2.4380	2.4380	2.4380	7.3080	9.7440	9.7440	964.8580

2429910-
11

(नौ करोड़ चौहत्तर लाख चालीस हजार रुपये मात्र)

नोट:- 1. कालम संख्या 5 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज 30प्र0 तथा कालम संख्या 6, 7 व 8 की कुल कालम संख्या 9 में इंगित धनराशि सम्बन्धित जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।

(जोगेन्द्र प्रसाद)

उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-16/11/2018

प्रेषण संख्या:- 1-sha-86-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 003-1-225-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम
800 - अन्य व्यय
03 - ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

(धनराशि रु. में)

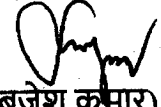
S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 24299100	7289730 ✓ 24299100
2	मेरठ-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	7289730 21869190	7289730 ✓ 21869190
3	बुलन्दशहर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 36448650	2429910 ✓ 36448650
4	मथुरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 24299100	2429910 ✓ 24299100
5	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 9719640	2429910 ✓ 9719640
6	मैनपुरी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 ✓ 4859820
7	बदायूं-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 9719640	2429910 ✓ 9719640
8	रामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 12149550	2429910 ✓ 12149550
9	इलाहाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 12149550	4859820 ✓ 12149550
10	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 9719640	2429910 ✓ 9719640
11	गाज़ीपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 17009370	2429910 ✓ 17009370
12	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 7289730	2429910 ✓ 7289730
13	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 9719640	4859820 ✓ 9719640
14	रायबरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 ✓ 4859820
15	प्रतापगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2429910 14579460	2429910 ✓ 14579460
16	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	4859820 4859820	4859820 ✓ 4859820

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम	24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
17	फिरोजाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 4859820 4859820	4859820 ✓ 4859820
18	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 2429910 17009370	2429910 ✓ 17009370
19	बलरामपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 4859820 4859820	4859820 ✓ 4859820
20	औरिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 4859820 4859820	4859820 ✓ 4859820
21	कन्नौज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 4859820 4859820	4859820 ✓ 4859820
22	अमरोहा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 4859820 12149550	4859820 ✓ 12149550
23	कांसगंज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी 4859820 4859820	4859820 ✓ 4859820
24	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी 4859820 12149550	4859820 ✓ 12149550
	योग	वर्तमान प्रगामी 97196400 289159290	97196400 289159290

महायोग- (वर्तमान आवंटन):-

रूपया नौ करोड़ इकत्तर लाख छियानवे हजार चार सौ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया अठाईस करोड़ इकानवे लाख उनसठ हजार दो सौ नब्बे


(बृजेश कुमार)
मुख्य विद्व एवं लेखाधिकारी

(3)